नत्थी 'च'

संख्या–1546/15–7–93–16(17)/1992

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर सचिव,
भारत सरकार,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग) नई दिल्ली ।

लखनऊ दिनांक 4-1-94

विषय :—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अशासकीय विद्यालयों/पब्लिक स्कूलों को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली/सी० आई० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शिक्षा (7) अनुभाग

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–1–42/93–स्कूल–3 दिनांक 10-9-93 का कृपया संदर्भग्रहण करें । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रदेश में स्थित अशासकीय पब्लिक विद्यालयों को राज्य के बाहर स्थित परीक्षा निकाय/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली/सर्टीफिकेट फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता दिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 30-11-91 द्वारा मानक एवं प्रतियां निर्धारित की गई । इसके अन्तर्गत प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय सामान्य शर्तों के अधीन निम्नलिखित प्रतिबन्ध के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया ।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(ख) विद्यालय के प्रबन्धक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल आफ दि इन्डियन स्कूल सार्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दि जायेगें ।

(च) कमचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चत माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पाल करेगी ।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(झ) यदि हां, तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 8 तक स्वीकार हैं तथा शासन का पूर्वानुमति बिना उक्त प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु उक्त शर्तों को संबंधित संस्थाओं की सोसायटी बाइलाज में समावेश किया जाता होगा और तत्संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के आदेश निर्गत किये जाते हैं । वर्ष 1986 से उपरोक्त शर्तों प्रबन्धतंत्र की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है और यह कोई नवीन व्यवस्था नहीं है ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के उपरोक्त प्रक्रिया के निर्धारण के पश्चात आवेदक द्व शासन को प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श किया गया इस सम्बन्ध में एक बैठक भी आयोजित की जिसमें अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त कैथोलिक डायोसीज आफ लखनऊ के विशप तथा आवेदक उपस्थित थे । बैठक में युक्तियुक्त विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रतिब 2 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित प्राविधान जोड़ दिया जाय ।

"विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिलास्तर के किसी अधिकारी को संस्था के सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा" ।

उपरोक्त प्रतिबन्ध के बिन्दु 3 में भी संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अनुसू जाति/जनजाति के लिए अनुमन्य सुविधा से संबंधित उक्त बिन्दु में निर्धारित व्यवस्था को संशोधित कि जाना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

इस प्रकार यह तथ्यों के विपरीत है कि प्रदेश शासन द्वारा आवेदक के प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया ।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें ।

भवदीय,

अशोक गांगुली

उप सचिव ।